कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2855 /एटा/13100/2015, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 09 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : एटा–शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0–85) किमी0 3.125 की दायीं पटरी पर ग्राम–निधौली खुर्द के खसरा संख्या–999स में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075028 हे0 (पूर्व में 0.0794 हे0) संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/32/2016/एफसी/904, दि0 15.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो शासन को सम्बोधित एवं अन्य के साथ इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा इंगित सूचनाओं एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त सूचनायें एवं अभिलेख सम्बन्धित कार्यालय व प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से अपेक्षित थीं।

वन संरक्षक, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक–3292/14–1, दिनांक 03.04.2018 द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं। अतः उक्त सूचना एवं अभिलेख की दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, एटा।
3– डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, से0–3, नोएडा।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।